- **शक्तियों के पृथक्करण के कारण गतिरोध:** यदि विधायिका में उसी दल का वर्चस्व हो जाता है जिसका राष्ट्रपति होता है, तो एक करिश्माई राष्ट्रपति विधायिका के किसी भी कदम को रोक सकता है। वहीं दूसरी ओर, यदि विधायिका में राष्ट्रपति के दल के विरोधी किसी दल का वर्चस्व हो जाता है तो इससे शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति और विधायिका दोनों की लोकतांत्रिक वैधता होगी।
- **नेतृत्व परिवर्तन में बाधाएं**: अनुपयुक्त राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाना अधिक कठिन होगा।

हालांकि अध्यक्षात्मक प्रणाली की दिशा में परिवर्तन व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है, लेकिन संसदीय रूप में कुछ सुधारों से लोकतंत्र को और अधिक कुशलता से काम करने में सहायता मिल सकती है। इनमें राजनीतिक दलों के व्यय पर अधिकतम सीमा आरोपित करना, एक साथ चुनाव आयोजित कराना, निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय बूथों के संयोजन का परिणाम घोषित करना, उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृति विकसित करना आदि सम्मिलित हैं।

9. Highlighting the issue of political defections in India, discuss the significance of Kihoto Hollohan judgment. (150 words) 10
भारत में राजनीतिक दल-परिवर्तन के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, किहोतो होलोहान निर्णय के महत्व की विवेचना कीजिए।

दृष्टिकोण:

- राजनीतिक दल परिवर्तन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
- भारत में राजनीतिक दल परिवर्तन की उत्पत्ति और संसदीय लोकतंत्र पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए।
- इस संदर्भ में किहोतो होलोहान निर्णय का महत्व स्पष्ट कीजिए।
- दल परिवर्तन को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपायों का उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए।

उत्तर:

दल परिवर्तन की घटनाएं विश्व के लगभग सभी दलीय लोकतंत्रों में देखी गई हैं और भारत जैसे संसदीय लोकतंत्रों में आवर्ती विशेषता बन गई हैं।

- 1967 के चुनावों के बाद राजनीतिक दल परिवर्तन अधिक तीव्र हो गया। 4 वर्षों (1967-71) की संक्षिप्त अवधि के भीतर संसद में 142 दल परिवर्तन हुए थे।
- देश भर में राज्य विधानसभाओं में 1969 का दल परिवर्तन जिसके कारण कई सरकारें गिर गईं जबकि दल परिवर्तन करने वालों को मंत्री पदों से पुरस्कृत किया गया।
- इस घटना की चरम स्थिति में 'आया राम-गया राम' कहावत प्रचलन में आयी।

इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल परिवर्तन रोधी कानून लाया गया। इस आधार पर किहोतो होलोहन बनाम जाचीलू और अन्य वाद, 1992 में इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया कि यह कानून संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और वाक् स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए विध्वंसकारी है। शीर्ष न्यायालय ने भारत के संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इस कानून की संवैधानिक वैधता को अक्षुण्ण रखा।

इस निर्णय का महत्व:

- यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि **सिद्धांतहीन और अनैतिक राजनीतिक** दल परिवर्तन **को रोकना** राष्ट्र के वृहत्तम हित में है और वाक् स्वतंत्रता पर **उचित प्रतिबंध** है।
- यह निर्णय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा **अध्यक्ष की निर्णायक स्थिति** को स्पष्ट करता है और उसे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को न्यायोचित ठहराते हुए सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक कहता है।
- इसमें दृढ़तापूर्वक कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के अंतर्गत **न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है** जिसका निर्णय अंतिम होता है और यहां तक कि दल परिवर्तन रोधी कार्रवाई में लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के आदेश के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा केवल क्षेत्राधिकार त्रुटियों तक ही सीमित रहेगा अर्थात यदि इसकी अशक्तता संवैधानिक अधिदेश के उल्लंघन, दुर्भावना, नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन न करने और दुराग्रह पर आधारित हो।
- यह **न्यायालयों का अंतर्वादीय हस्तक्षेप** केवल उन मामलों तक भी सीमित करता है जहाँ **अंतर्वादीय** निरर्हता या निलंबन के गंभीर, तात्कालिक और अपरिवर्तनीय नतीजे और दुष्परिणाम हो सकते हैं।

हालांकि, इस कानून की मूल भावना का कई बार उल्लंघन किया गया है। हाल ही में, कर्नाटक में 2019 के राज्य चुनावों में, चुनाव जीतने वाले 11 दल परिवर्तनअपना उप करने वालों में से 10 को मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान किया गया था। इस प्रकार राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा सत्ता हथियाने के ऐसे सिद्धांतहीन और अवसरवादी तरीकों की रोकथाम करने के लिए इस निर्णय द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।